रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3078] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 2, 2017/कार्तिक 11, 1939

No. 3078] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 2, 2017/KARTIKA 11, 1939

## गृह मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 नवम्बर, 2017

**का.आ. 3513(अ).**—अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह (पंचायत) विनियम,1994 (1994 का 1) की धारा 185 के साथ पठित, भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा 23 अप्रैल, 1994 को जारी की गई अधिसूचना सं. का.आ. 324(अ), का.आ. 325(अ), का.आ. 326(अ) और का.आ. 327(अ) के द्वारा यथा संशोधित संविधान के अनुच्छेद 243 ट के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, एतद्द्वारा दिनांक 4 अक्तूबर, 1994 की अधिसूचना सं. का.आ. **725**(अ) के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना (जिसे इसमें इसके बाद उक्त अधिसूचना कहा गया है) में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, "श्रीमती भूपिन्दर प्रसाद, आई ए एस (सेवानिवृत्त) को 3 अक्तूबर, 2012 से नियुक्त करते हैं" शब्दों, अक्षरों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर "श्री नरेन्द्र कुमार, आई ए एस (सेवानिवृत्त) को 01 नवम्बर, 2017 से नियुक्त करते हैं," शब्द, अक्षर, कोष्ठक एवं अंक रखे जाएंगे।

[फा. सं. यू-11022/1/2017-यू टी एल]

प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, अपर सचिव

नोट : मूल अधिसूचना, दिनांक 4 अक्तूबर, 1994 की का.आ. 725(अ) के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित की गई थी और बाद में उसमें दिनांक 25 अक्तूबर, 1996 की अधिसूचना सं. का.आ. 742(अ), दिनांक 25 अक्तूबर, 2002 की अधिसूचना सं. का.आ. 1128(अ), दिनांक 29 अक्तूबर, 2007 की अधिसूचना सं. का.आ. 1840(अ) और दिनांक 14 सितम्बर, 2012 की अधिसूचना सं. का.आ. 2175(अ) के तहत संशोधन किया गया था।

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 1st November, 2017

**S.O. 3513(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 243K of the Constitution, as modified by the notifications of the Government of India in the Ministry of Home Affairs numbers S.O. 324(E), S.O. 325(E), S.O. 326(E) and S.O. 327(E), all dated the 23rd April, 1994 read with Section 185 of the Andaman and Nicobar Islands (Panchayats) Regulation, 1994 (1 of 1994), the President hereby makes the following amendment to the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide number* S.O. 725(E), dated the 4th October, 1994 (hereinafter referred to as the said notification), namely:—

In the said notification, for the words, letters, brackets and figures "appoint Smt. Bhupinder Prasad, IAS (Retired) with effect from the 3rd day of October, 2012", the words, letters, brackets and figures "Shri Narendra Kumar, IAS (Retired) with effect from Ist day of November, 2017" shall be substituted.

[F. No. U-11022/1/2017-UTL]

PRAVEEN KUMAR SRIVASTAVA, Addl. Secy.

**Note:** The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide number* S.O. 725(E), dated the 4th October, 1994 and subsequently amended *vide number* S.O. 742(E), dated the 25th October, 1996, S.O. 1128(E), dated 25th October, 2002, S.O. 1840(E), dated the 29th October, 2007 and S.O. 2175(E), dated the14th September, 2012.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2017.11.03 18:14:47 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.